

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.11.2024	<p>प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्तगण ने एक वाद बाबत घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरस्ती का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा शोभागपुरा, तहसील बड़गांव में आराजी नंबर 1, 9, 10 कुल किता 3 रकबा 0.2600 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसके साबिक आराजी नंबर 7 मी. रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा हैं। साबिक आराजी नंबर 7 समस्त ग्रामवासियों के बच्चों के शमशान की होकर ग्रामवासी के मृतक बच्चों को दफनाने के काम आ रही है तथा राजस्व रेकार्ड में भी बिलानाम गैर काबिल काश्त शमशान दर्ज है। हाल आराजी नंबर 1 रकबा 0.1900 हैक्टर तो शमशान दर्ज कर दी गयी, लेकिन हाल आराजी नंबर 9 बिलानाम होकर नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज कर दी गयी तथा हाल आराजी नंबर 10 रकबा 0.0300 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 3 के नाम बिना किसी आधार के दर्ज कर दी गयी तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने बिना किसी आधार के अपने पौत्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज करा दी। सेटलमेन्ट को पूर्व इन्द्राज को ही रिपीट करना चाहिए, लेकिन सेटलमेन्ट अधिकारियों ने बिना किसी अधिकार के उक्त इन्द्राज कर दिये। हाल आराजी नंबर 9 रकबा 0.0400 हैक्टर नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के नाम दर्ज हो जाने से नगर विकास प्रन्यास द्वारा 10 फिट चौड़ा नाला व 60 फिट चौड़ी सड़क प्रस्तावित कर दी, जो गलत है। शमशान की भूमि पर इस तरह का कोई नाला व सड़क का निर्माण नहीं किया जा सकता। उक्त गलत इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण शमशान की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः हाल आराजी नंबर 9 रकबा 0.0400 हैक्टर एवं हाल आराजी नंबर 10 रकबा 0.0300 हैक्टर भूमि प्रतिवादीगण के नाम से हटाकर शमशान के नाम दर्ज करायी जावे।</p> <p>प्रतिवादी द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी नंबर 9 आबादी में परिवर्तित हो चुकी है, जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। आराजी नंबर 10 कुंआ है, जो राजस्व नक्शे में भी स्पष्ट है।</p>	



समस्त ग्रामवासियों के जरिये वाद लाया गया है, आदेश 1 नियम 8 की पालना नहीं की गयी है। मौका रिपोर्ट में कोई शमशान होना अंकित नहीं है। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को धारा 98 नगर सुधार अधिनियम व धारा 80 जा.दी. का नोटिस नहीं दिया गया है। अतः उक्त बिन्दुओं के मद्दे नजर प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

वादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि धारा 98 नगर सुधार अधिनियम व धारा 80 जा.दी. का नोटिस देने हेतु इजाजत चाही गयी है तथा आदेश 1 नियम 8 की पालना न्यायालय द्वारा करवायी जानी है इसके लिए वादी तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे तथा जवाबदावा लेकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर दिनांक 30.05.2017 को निर्णय पारित करते हुए प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. स्वीकार कर वादी का वाद इसी स्टेज पर खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्त/वादीगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने परद रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री आलोक जैन हुए। रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 नगर विकास प्रन्यास की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप सुथार एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्तगण की ओर से अधिवक्ता श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रावधानों को बिना पढ़े एवं बिना मनन किये निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है। आदेश 7 नियम 11 जा. दी. के प्रावधानों के अनुसार अपीलान्त/वादीगण का वाद बार्ड बाई लॉ

नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर कोई गौर नहीं किया कि साबिक आराजी नंबर 7 मी. रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि समस्त ग्रामवासियों के बच्चों को दफनाने के लिए शमशान की भूमि है, फिर भी साबिन आराजी नंबर 7 मी. से बने हाल आराजी 9 नगर विकास प्रन्यास के नाम तथा 10 प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज कर दी गयी। तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 3 ने बिना किसी आधार के अपने पौत्र प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कर दी। ऐसी स्थिति इन सभी बिन्दुओं का साक्ष्यों के आधार पर ही विनिश्चय किया जा सकता है। नगर विकास प्रन्यास के अधिकारियों द्वारा जो आराजी नंबर 3477 रकबा 0.4500 हैक्टर में से 0.0800 हैक्टर भूमि शमशान के लिए आरक्षित की वह अन्य व्यक्तियों के कब्जे में होकर उनकी बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है तथा फाटक लगा हुआ है तथा किसी व्यक्ति को अन्दर नहीं जाने देते, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा प्रकरण जवाबदावा लेकर तनकियात कायम कर साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2023 (1) पेज 247 प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि दावा दायरी के दिन ही आराजी नंबर 9 नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के नाम दर्ज होकर आबादी भूमि थी ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय का श्रवणाधिकार नहीं है। अपीलान्ट/वादीगण द्वारा आदेश 1 नियम 8 की पालना नहीं की गयी है। ग्रामवासियों को शमशान के लिए प्रथम से भूमि दी जा चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक आराजी नंबर 7 मी. से हाल आराजी नंबर 1, 9 व 10 बनना स्पष्ट है। हाल आराजी नंबर 1 रकबा 0.1900 हैक्टर भूमि बिलानाम गैर काबिल

काश्त राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। आराजी नंबर 9 रकबा 0.0400 हैक्टर किस्म आबादी नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के नाम तथा आराजी नंबर 10 किस्म कुंआ होकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वाद अपीलान्त/वादीगण द्वारा वर्ष 2015 में प्रस्तुत किया गया है, जबकि इससे पूर्व ही आराजी नंबर 9 रकबा 0.0400 हैक्टर भूमि नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के नाम दर्ज हो चुकी थी तथा वर्ष 2009 में ही नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा आबादी में परिवर्तित की जा चुकी थी। नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के आदेश क्रमांक 6903 दिनांक 18.08.2010 से ग्रामवासियों को शमशान के लिए अलग से आराजी नंबर 3477 में से 0.0800 हैक्टर भूमि आरक्षित कर दी गयी है तथा विवादित आराजी नंबर 9 में 60 फिट चौड़ी सड़क एवं 10 फिट चौड़ा नाला प्रस्तावित किया है। रास्ता एवं नाला भी ग्रामवासियों के उपयोग में ही आता है। विवादित भूमि बिलानाम भूमि होकर सार्वजनिक उपयोग हेतु आरक्षित एवं प्रस्तावित की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों का विवेचन करते हुए कुंए एवं आबादी भूमि के संबंध में क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं मानते हुए रेस्पोंडेन्ट/प्रतिवादी का आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्त/वादीगण का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्त सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 19/2015 में पारित डिक्री दिनांक 30.05.2017 यथावत रखी जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)  
भू-प्रबन्ध अधिकारी  
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
उदयपुर